

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे-ग कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



नाम : यू.जी.एस.  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्स : (0091-0751-2341768  
E-mail :  
jurg\_gwl@rediffmail.com  
Website :  
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2015/2805

दिनांक : 4-2-16

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 08 मई, 2015 के पद क्रमांक (15) के निर्णयानुसार व्ही.आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर को सत्र 2014-15 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी. नर्सिंग (सीट संख्या-30) पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें एवं प्रतिबंध :-

- गत वर्ष की निरीक्षण समिति द्वारा लगाई गयी शर्तों का अंशतः पालन किया गया है। प्राचार्य एवं शिक्षकों को 28(17) के तहत नियुक्ति आज दिनांक तक अपेक्षित है। स्थाई समिति से इस सम्बन्ध में उचित निर्णय अपेक्षित है। पत्रावली में भवन व भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न है। समिति सुझाव देती है कि इन दस्तावेजों का किसी प्राधिकृत व्यक्ति/ संस्था द्वारा परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित करे कि नियम एवं विधि की दृष्टि से वस्तुस्थिति उचित एवं मान्य है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में उचित कीड़ा प्रांगण है, पुस्तकालय में नवीन संस्करण की पुस्तकें नहीं हैं, शिक्षकों का वेतन बैंक के माध्यम से नहीं हो रहा है, Fundamental of nursing lab में फुल साइज की डमी की आवश्यकता है।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

- प्राचार्य, व्ही.आई.पी.एस. कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ग्वालियर।
- सचिव, इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, टेम्पल लैन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधिष्ठाता,  
महाविद्यालयीन विकास परिषद्